तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **नजरसानी/अपील डिक्री/टी ए/8386 /2006/पाली** **महेन्द्रसिंह बनाम छोगाराम**	नम्बर व तारीख
18-03-2021	**खण्ड पीठ** **श्री सुनील कुमार शर्मा सदस्य** **श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य** उपस्थित श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी **आदेश** यह नजरसानी प्रार्थना पत्र मण्डल की खण्ड पीठ के निर्णय दिनांक 24-6-98 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 229 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। नजरसानी प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने नजरसानी मीमो में अंकित तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक24-6-98 के पूर्व ही माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 27-9-94 के द्वारा प्रार्थी की रिट याचिका स्वीकार करते हुये प्रकरण वापस डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पाली को निर्णय हेतु लौटा दिया था। ऐसी स्थिति में डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पाली का आदेश अस्तित्व में नहीं था। मण्डल की खण्ड पीठ ने दिनांक 24-6-98को रिट याचिका प्रस्तुत होना मानकर अप्रार्थी की अपील स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार था उसने केवल अधिनियम की धारा 188 के तहत ही वाद प्रस्तुत किया था। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार दर्ज है। दावा प्रस्तुत करने की दिनांक को वह खातेदार था व काबिज था। धारा 188 का वाद केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वह बार्ड बाई ला था। इसलिये नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मण्डल की खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24-6-98 निरस्त किया जाकर अपील को पुनः नम्बर पर लेने के आदेश प्रदान किये जावें।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **नजरसानी/अपील डिक्री/टी ए/8386 /2006/पाली** **महेन्द्रसिंह बनाम छोगाराम**	नम्बर व तारीख

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने नजरसानी प्रार्थना पत्र में जिन तथ्यों का उल्लेख किया है उनके बाबत मण्डल की खण्ड पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 24-6-98 के पैरा संख्या 6 से 8 में विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किया है। इसके अतिरिक्त नजरसानी की आड में प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2005 आर.बी.जे. (12) पेज 290 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "The scope of Review is very limited. It has been clearly held in a catena of cases that a judgment order may be open to review under Order 41 Rule 1 C.P.C. if there is a mistake or an error apparent on the face of the record. An error which is not self evident and has to be detected by process of reasoning can hardly be said to be an error apparent on the face of record justifying exercise of power of review. In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1C.P.C., it is not permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. There is clearly distinction between 'an erroneous decision' and 'an error apparent on the face of record.' While the former can be corrected by higher forum, the latter can be corrected by exercise of review .jurisdiction. A review petition has, therefore, a limited purpose and cannot be allowed to be appeal in disguise."

ए आई आर 2014 एस सी (सप्ली.) 254 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया है कि–

Mere disagreement with view expressed in judgment-Or thant other view is possible-Not ground to invoke review jurisdiction-Review jurisdiction can be exercised only when there is glaring omission or patent mistake or when a grave error has crept in judgment.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1995(एस.सी) पेज 455 में प्रतिपादित सिद्धांत से भी यह स्पष्ट है कि नजरसानी की कार्यवाही किसी भी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **नजरसानी/अपील डिक्री/टी ए/8386 /2006/पाली** **महेन्द्रसिंह बनाम छोगाराम**	नम्बर व तारीख

1 की परिधि से बाहर नहीं होना चाहिए। नजरसानी की शक्ति का उपयोग केवल मात्र उस स्थिति में ही किया जाना चाहिए जबकि आक्षेपित आदेश में अभिलेख के आमुख से दृष्टव्य त्रुटि (error apparent from the Face of the Record) रह गयी हो। किन्तु नजरसानी का आधार यह नहीं हो सकता कि आलोच्य निर्णय गुणावगुण पर त्रुटिपूर्ण है। अभिलेख के आमुख से दृष्टव्य त्रुटि ऐसी त्रुटि है जो कि अभिलेख को देखने मात्र से नज़र आवे और जिसे समझने के लिये तर्क–वितर्क की लम्बी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं हो। पुनर्विलोकन बाबत् विधि की स्थिति स्पष्ट है कि गलत निर्णय (erroneous decision) एवं अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (error apparent from the Face of the Record) में अन्तर है। पुनर्विलोकन द्वारा गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता। इसलिये नजरसानी के माध्यम से मण्डल की खण्ड पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य